पत्रांक–3ए–12–(लोकायुक्त)–01/2016–1134/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग।

प्रेषक,

लोकेश कुमार सिंह,
सचिव (संसाधन)।

सेवा में,

अवर सचिव,
लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना

पटना, दिनांक : 11-02-2021

विषय :– **परिवाद संख्या–2/लोक(सिंचाई)–27/2010 में दर्ज वाद, वित्त विभाग के संकल्प संख्या–7310, दिनांक–12/09/2017 के आलोक में वर्ष 2014 में कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों को कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ दिये जाने के संबंध में।**

प्रसंग :– **वित्त विभागीय पत्रांक–10070, दिनांक–18/12/2019**

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा वर्ष 2013 के निर्णय से नियमित हुए कार्यभारित कर्मियों की प्रास्थिति, वर्ष 1984/1987 के निर्णय से नियमित हुए कर्मियों से भिन्न होने के कारण कालबद्ध प्रोन्नति अनुमान्य नहीं होने का उल्लेख किया गया था। माननीय लोकायुक्त द्वारा दिनांक–18/12/2019 को उक्त पत्र पर पुनर्विचार करने का आदेश पारित किया गया।

वित्त विभागीय ज्ञाप संख्या–3058, दिनांक–22/10/1984 एवं संकल्प संख्या–6394, दिनांक–23/10/1987 द्वारा दिनांक–22/10/1984 तक एक ही पद पर पाँच वर्षो की संतोषजनक एवं लगातार सेवापूर्ण कर चुके कार्यभारित कर्मियों को नियमित करने का निर्णय लिया गया तथा सरकार का यह भी निर्णय था कार्यभारित स्थापना में न तो कोई पद सृजित होगें और न ही नई नियुक्तियाँ की जाएगी।

चतुर्थ वेतन पुनरीक्षण समिति का यह मत था कि कार्यभारित कर्मियों के नियोजन का स्वरूप ऐसा है कि उन्हें सभी मामलों में स्थायी और यहाँ तक कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के साथ भी पूर्णतः समानता नहीं दी जा सकती। कार्यभारित कर्मी नियमित हो जाने पर स्थायी सरकारी कर्मियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के हकदार होगें। सरकार द्वारा दिनांक–01/01/1996 के प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। कालबद्ध प्रोन्नति के अवधारणा के समय उक्त कार्यभारित कर्मी नियमित नहीं हुए थें।

LF2021\Dilip\25(i)

(Comp.-Nayeem)

183

सरकार द्वारा लिये गये निर्णय कि कार्यभारित स्थापना में नई नियुक्तियाँ नहीं की जाय के विरुद्ध कार्यभारित स्थापना में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ की गई। सरकार द्वारा उदारनीति अपनाते हुए कार्यभारित स्थापना में दिनांक-11.12.1990 तक नियुक्त कार्यभारित कर्मियों को संकल्प संख्या-10710, दिनांक-17.10.2013 के द्वारा विशेष प्रावधान के तहत नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया।

उल्लेखनीय है कि संकल्प संख्या-6394, दिनांक-23/10/1987 के आलोक में नियमित हुए कर्मी जो दिनांक-31/12/1995 तक सेवा में थें, उन्हें तत्समय विद्यमान कालबद्ध प्रोन्नति अनुमान्य किया गया था। संकल्प संख्या-10710, दिनांक-17/10/2013 के प्रावधानों के आलोक में नियमित हुए कार्यभारित कर्मियों के लिए तत्समय नियमित सरकारी कर्मियों के लिए प्रभावी एम०ए०सी०पी०एस० नियमावली, 2010 लागू किया गया है। इसके लिए पूर्व की कार्यभारित अवधि की गणना करते हुए तीनों वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जाना है।

संकल्प संख्या-10710, दिनांक-17/10/2013 के आलोक में नियमित हुए कार्यभारित कर्मियों को कालबद्ध प्रोन्नति के विद्यमानता की तिथि-31/12/1995 तक नियमित कर्मी नहीं रहने के कारण उक्त योजना का लाभ नियमित कर्मियों के भाँति अनुमान्य नहीं किया जा सकता है।

अतः सभी प्रसंगो व प्रावधानों को देखते हुए संकल्प संख्या-10710, दिनांक-17/10/2013 के आलोक में वर्ष 2014 में नियमित हुए कार्यभारित कर्मियों को कालबद्ध प्रोन्नति अनुमान्य नहीं है।

विश्वासभाजन

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन)।

11/2/2021

LF2021\Dilip\25(I)

(Comp.-Nayeem)